प्रारूप–3

कीटनाशी की बिक्री, भंडारण अथवा प्रदर्शनी अथवा बिक्री एवं वितरण हेतु अनुज्ञप्ति

(नियम 10 का उप नियम (4) देखिये)

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF AGRICULTURE
BALODA BAZAR (C.G.)
BALODA BAZAR - BHATAPARA DISTT.

अनुज्ञप्ति संख्यांक : **BBP-787**
जारी दिनांक : **10-07-2024**

ग्राम–कडार, विकासखण्ड–भाटापारा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा पर स्थित परिसर संगवारी कृषि केंद्र, कडार, पर निम्नलिखित कीटनाशियों के बिक्री, भंडारण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए अनुज्ञप्ति **मेसर्स, संगवारी कृषि केंद्र, प्रोप्राइटर श्री दीपेन्द्र नाथ योगी, पिता स्व. श्री राजेन्द्र नाथ योगी,** को प्रदान की जाती है।

जैसा नीचे विनिर्दिष्ट है–

स.क्रं.	कीटनाशी की विशिष्टियां	राजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
1	2	3	4	5
----------As per enclosed PC----------				

2. कीटनाशियों को निम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्दों के निर्देश और पर्यवेक्षण में बिक्री, भंडारण अथवा कीटनाशियों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यवसायिक कीटनियंत्रण प्रचालन किया जाएगा।
(क) बिक्री/स्टॉक/कीटनियंत्रण प्रचालनः विशेषज्ञ स्टॉफ का नाम और पता श्री हीरा लाल, पिता श्री कन्हैया लाल
3. अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, साथ ही नीचे विवर्णित शर्तों के अध्यधीन होगी।

अनुज्ञापक अधिकारी
Licencing Officer
Plant Protection
Distt.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति उस परिसर में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई, रखी जाएगी और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति में वर्णित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट तत्काल अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी।
3 अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण की प्रत्येक शर्त की निष्ठा से पालन करेगा जिसके न हो सकने पर कीटनाशी की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।
4. समय–समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज के सिवाए, किसी भी कीटनाशी को समय–समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेजेज के अलावा विक्रीत नहीं किया जाएगा अथवा बिक्री के लिए न प्रदर्शनी लगाई जाएगी अथवा न वितरित किया जाएगा और न ही व्यावसायिक कीटनियंत्रण हेतु उपयोग में लिए जाएगा।
5. यदि कोई अनुज्ञापनधारी कोई अतिरिक्त कीटनाशी विनिर्माण/बेचना, भण्डारण करना अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाना अथवा स्टॉक करना और व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए उपयोग करना चाहता है तो वह निर्धारित फीस का भुगतान करके इस प्रकार के प्रत्येक कीटनाशी को अनुज्ञप्ति में जुड़वाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकता है।
6. कीटनियंत्रण के प्रचालनों के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेत कीटनाशी नियम के नियम 10 के उपनियम (3क) के अनुसार आवेदन करना होगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा।
8. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक व्यापार के माध्यम से बिक्री हेतु कारखाना परिसर, अनुज्ञप्ति दिए गए परिसर में विनिर्माता कीटनाशियों के भण्डारण और भण्डारण के लिए प्राधिकृत करता है।
9. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट क के अनुसार फ़ार्मेट में अलग से 'अवसान हो चुके कीटनाशियों की तारीख' का अभिलेख रखा जाना चाहिए।
10. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ख के अनुसार फार्मेट में कीटनाशियों की बिक्री/वितरण का अभिलेख रखना चाहिए और अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को मासिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
11. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ग 1 और ग 2 में (केवल विनिर्माता के लिए) अलग से तकनीकी और निश्चित उत्पादों के लिए स्टॉक रजिस्टर रखना चाहिए।
12. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट घ 1 और घ 2 में अलग से (केवल विनिर्माता के लिए) में तकनीकी ग्रेड और निश्चित कीटनाशकों का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
13. अनुज्ञितपधारी को परिशिष्ट ड. के अनुसार कीटनाशकों के संबंध में लगे व्यक्तियों का समय–समय पर चिकित्सकीय परीक्षण का अभिलेख रखेगा।
14. सभी रजिस्टरों को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कीटनाशी निरीक्षण, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी को समय–समय पर जांच हेतु प्रदान कराया जाना चाहिए।
15 अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त (शर्तें)।

अनुज्ञापक अधिकारी
Licencing Officer
Plant Protection
Distt.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

प्रारूप–3

कीटनाशी की बिक्री, भंडारण अथवा प्रदर्शनी अथवा बिक्री एवं वितरण हेतु अनुज्ञप्ति

(नियम 10 का उप नियम (4) देखिये)

अनुज्ञप्ति संख्यांक : BBP-787
जारी दिनांक : 10-07-2024

ग्राम–कडार, विकासखण्ड–भाटापारा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा पर स्थित परिसर संगवारी कृषि केंद्र, कडार, पर निम्नलिखित कीटनाशियों के बिक्री, भंडारण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए अनुज्ञप्ति **मेसर्स, संगवारी कृषि केंद्र, प्रोप्राइटर श्री दीपेन्द्र नाथ योगी, पिता स्व. श्री राजेन्द्र नाथ योगी,** को प्रदान की जाती है।

जैसा नीचे विनिर्दिष्ट है–

स.क्रं.	कीटनाशी की विशिष्टियां	राजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
1	2	3	4	5
----------As per enclosed PC----------				

2. कीटनाशियों को निम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्दों के निर्देश और पर्यवेक्षण में बिक्री, भंडारण अथवा कीटनाशियों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यवसायिक कीटनियंत्रण प्रचालन किया जाएगा।
(क) बिक्री/स्टॉक/कीटनियंत्रण प्रचालतः विशेषज्ञ स्टॉफ का नाम और पता श्री हीरा लाल, पिता श्री कन्हैया लाल
3. अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, साथ ही नीचे विवर्णित शर्तों के अध्यधीन होगी।

अनुज्ञापक अधिकारी
Licencing Officer
Plant Protection
Distt.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति उस परिसर में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई, रखी जाएगी और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति में वर्णित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट तत्काल अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी।
3 अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण की प्रत्येक शर्त की निष्ठा से पालन करेगा जिसके न हो सकने पर कीटनाशी की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी।
4. समय–समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज के सिवाए, किसी भी कीटनाशी को समय–समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेजेज के अलावा विक्रीत नहीं किया जाएगा अथवा बिक्री के लिए न प्रदर्शनी लगाई जाएगी अथवा न वितरित किया जाएगा और न ही व्यावसायिक कीटनियंत्रण हेतु उपयोग में लिए जाएगा।
5. यदि कोई अनुज्ञापनधारी कोई अतिरिक्त कीटनाशी विनिर्माण/बेचना, भण्डारण करना अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाना अथवा स्टॉक करना और व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए उपयोग करना चाहता है तो वह निर्धारित फीस का भुगतान करके इस प्रकार के प्रत्येक कीटनाशी को अनुज्ञप्ति में जुड़वाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकता है।
6. कीटनियंत्रण के प्रचालनों के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेत कीटनाशी नियम के नियम 10 के उपनियम (3क) के अनुसार आवेदन करना होगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा।
8. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक व्यापार के माध्यम से बिक्री हेतु कारखाना परिसर, अनुज्ञप्ति दिए गए परिसर में विनिर्माता कीटनाशियों के भण्डारण और भण्डारण के लिए प्राधिकृत करता है।
9. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट क के अनुसार फार्मेट में अलग से 'अवसान हो चुके कीटनाशियों की तारीख' का अभिलेख रखा जाना चाहिए।
10. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ख के अनुसार फार्मेट में कीटनाशियों की बिक्री/वितरण का अभिलेख रखना चाहिए और अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को मासिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
11. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ग 1 और ग 2 में (केवल विनिर्माता के लिए) अलग से तकनीकी और निश्चित उत्पादों के लिए स्टॉक रजिस्टर रखना चाहिए।
12. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट घ 1 और घ 2 में अलग से (केवल विनिर्माता के लिए) में तकनीकी ग्रेड और निश्चित कीटनाशकों का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
13. अनुज्ञितधारी को परिशिष्ट ड. के अनुसार कीटनाशकों के संबंध में लगे व्यक्तियों का समय–समय पर चिकित्सकीय परीक्षण का अभिलेख रखेगा।
14. सभी रजिस्टरों को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कीटनाशी निरीक्षण, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी को समय–समय पर जांच हेतु प्रदान कराया जाना चाहिए।
15 अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त (शर्तें)।

अनुज्ञापक अधिकारी
Licencing Officer
Plant Protection
Distt.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)